भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1359
उत्तर देने की तारीख 25.07.2022

कर्नाटक हेतु निधि

†1359. **श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य सरकार को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवंटित/प्रदान की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का कर्नाटक के लिए कोई विशेष शिक्षा योजना शुरू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क्षेत्राधीन हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार, शिक्षा क्षेत्र में शैक्षिक विकास सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के सहयोग से समग्र शिक्षा, प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण), पढ़ना लिखना अभियान और राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना जैसी कई योजनाएं लागू कर रहा है।

नई एकीकृत योजना **समग्र शिक्षा** स्कूली शिक्षा की प्री-स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में परिकल्पना करती है और इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। **प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)** को पहले स्कूलों में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था, इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य पात्र स्कूलों में कक्षा I-V III तक में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना है। नई साक्षरता योजना 'पढ़ना लिखना अभियान (पीएलए)' 2030 तक संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रही है। कार्यक्रम का फोकस चार महीने के चक्र में बुनियादी साक्षरता घटक पर है। केंद्रीय क्षेत्र योजना **'राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना'** (एनएमएमएसएस) मई, 2008 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में उनके ड्रॉप आउट को रोकने और माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। **भाषा शिक्षकों को वित्तीय सहायता (एएलटी)** की

केंद्र प्रायोजित योजना 2019-20 में इस विभाग द्वारा शुरू की गई थी और 31.03.2021 तक स्टैंडअलोन के रूप में संचालित थी। योजना को वर्ष 2021-22 से इस विभाग की समग्र शिक्षा योजना में मिला दिया गया।

विभाग मदरसों / अल्पसंख्यकों (एसपीईएमएम) को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक छत्र योजना लागू कर रहा था जिसमें **मदरसा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम)** और **अल्पसंख्यक संस्थानों में बुनियादी ढांचा विकास (आईडीएमआई)** नामक 2 योजनाएं शामिल थीं। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जा रही थी। दोनों योजनाएं स्वैच्छिक प्रकृति की हैं। एसपीईएमएम योजना के तहत, पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य सरकार को कोई निधि जारी नहीं की गई है। हालांकि आईडीएमआई योजना के तहत परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 264.79 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने के कारण उक्त राशि जारी नहीं की जा सकी। वित्तीय वर्ष 2021-22 से एसपीईएमएम योजना को **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है।**

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 के लिए 1037.90 करोड़ रुपये (केंद्रीय शेयर 700.00 करोड़ रुपये) के कार्यात्मक परिव्यय के साथ भारत सरकार द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना **"नव भारत साक्षरता कार्यक्रम" (एनआईएलपी)** को मंजूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर्नाटक राज्य सरकार के लिए 5.92 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

योजनाओं के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान जारी किए गए और अभी तक जारी किए जाने वाले निधि आवंटन/खर्च का विवरण निम्नानुसार है: -

(रु. लाख में)

क्र. सं.	योजनाएं	2019-20		2020-21		2021-22	
		आवंटित निधि	जारी निधि	आवंटित निधि	जारी निधि	आवंटित निधि	जारी निधि
1	समग्र शिक्षा	77908.00	73032.69	70761.11	61007.77	184418.10	47451.63
2	पीएम पोषण	54015.07	554015.07	56902.02	55801.56	57771.73	49282.03
3	पढ़ना लिखना अभियान	-	-	444.60	444.60	-	-
4	एनएमएमएसएस	-	2599.56	-	2951.64	-	197.88
5	एएलटी	-	-	*	-	-	-

** इस विभाग ने 2020-21 में एएलटी योजना के तहत कर्नाटक राज्य सरकार को 170 उर्दू भाषा शिक्षकों को मानदेय प्रदान करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी। तथापि, चूंकि राज्य सरकार ने इस विभाग के अनुमोदन के सापेक्ष कोई वास्तविक भर्ती नहीं की थी इसलिए राज्य को कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी।*

******